यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीठासीन अधिकारी:–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
ुकदमा नम्बर :–321/2017 प्रार्थना पत्र
–श्री काना पिता जोधा तेली, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री रामचन्द्र पिता जोधा तेली, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थीगण

बनाम

–श्रीमति रतनीदेवी पत्नि कैलाश चन्द्र माहेश्वरी उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–श्री नाथू पिता तेजू जाट, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–श्रीमति रतनदेवी पत्नि रामनिवास सैन, उम्र बालिग निवासी डी–123, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा
–श्री बक्षु पिता नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–09.4.2018

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–ाजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अगरपुरा वार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 104/1 रकबा 1 बिस्वा, 6/1 रकबा 3 बिस्वा, 109 रकबा 11 बिस्वा, 110 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 4 स्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी वाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की मा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे मिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 ने दिनांक 14.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत या, जिसमें कथन किया कि पत्थरगढ़ी विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावें। विपक्षी संख्या 2 से 4 सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीसंख्या 2 से 4 बावजूद ूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 31.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का ादेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 5 के विरूद्व वकील प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने विपक्षी संख्या 5 के विरूद्व कार्यवाही ड्राप की गयी।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक रफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 हत स्वीकार किया जाकर ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 104/1 रकबा 1 बिस्वा, 106/1 रकबा 3 बिस्वा, 109 रकबा 11 बिस्वा, 110 रकबा स्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को /–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा वें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। रगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला (भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner